उपखण्ड अधिकारी, मुजफ्फरनगर

03/01/23 पत्रावली आज पेश हुयी दोनो पक्षो के वकील उपस्थित। पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुयी आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली विधिक स्तुकार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी, मुजफ्फरनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:53:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

मु.न. 09 / 2022

प्रार्थी

1. दुर्गाराम पुत्र भेराराम
जाति जाट निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण

बनाम

1. मीरांदेवी पत्नी जोगाराम
जाति जाट निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की उपधारा 1
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संशोधन अधिनियम 2010)

उपस्थित :

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 2**

–: निर्णय :–

दिनांक :– 03/04/2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम मौखावा पटवार क्षेत्र मौखावा तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 266 / 14 क्षेत्रफल 0.9470 हैक्टयर में आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, हमारे पाडौसी विप्रार्थीगण संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 266 / 7 रकबा 4.2087 हैक्टेयर ग्राम मौखावा में से ही आ जा सकते हैं। इसी रास्ते का उपयोग पीडियों से करते आ रहे हैं। हरबार वारिस में काश्त करने से रास्ता अवरूद्ध हो जाता है तथा विप्रार्थीगण आने जाने में झगड़ा करते हैं। अतः हमारी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 266 / 14 से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 266 / 7 ग्राम मौखावा में से संलग्न "परिशिष्ठ–अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1240 दिनांक 19.07.2022 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 266 / 14 से सरकारी कटान मार्गतक पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 266 / 7 में से होकर गुजरना ही सबसे नजदीकी एवं एक मात्र रास्ता है तथा पूर्व से ही प्रार्थीगण द्वारा इसी रास्ते का उपयोग करते हुए खसरा 266 / 14 से कटान मार्ग तक पहुचने के लिये उपयोग में ले रहे हैं। विप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 266 / 7 में से प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 120 गठ्ठा चौडाई 2 गठ्ठा है जिसका कुल रकबा 0.12 बीघा है। प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं है, भूमि मौके पर खाली है, जिसे बरंग लाल नजरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:43:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

नक्शा में प्रस्तावित कर रास्ता राजस्व रेकर्ड रेकर्ड में अपलिखित किये जाने की अनुशंषा की है। तहसीलदार गुड़ामालानी की उक्त रिपोर्ट पर वकील विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आपत्ति करते हुए कथन किया कि उक्त रिपोर्ट राजस्व कार्मिकों द्वारा मौके पर नहीं जाकर कार्यालय में बैठकर प्रार्थी के बताये अनुसार बनाई है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण की सयुंक्त खातेदारी के बंटवाडा से खसरा अलग–अलग बने हैं बंटवाडा में रास्ते की मांग नहीं गई तथा प्रस्तावित रास्ते पर निर्माण है एवं प्रार्थी के आवागमन के लिये दूसरी जगह से रास्ता उपलब्ध है।

दोनों पक्षों क विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी, पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन अध्ययन किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 की आपत्ति के परिपेक्षय में तहसीलदार गुड़ामालानी की मौका रिपोर्ट क्रमांक 1240 दिनांक 19.07.2022 का गहराई से अवलोकन अध्ययन किया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपनी रिपोर्ट में सबसे नजदीकी विकल्प खसरा संख्या 266/7 में से ही होना अंकित किया है तथा प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होना बताया है। विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी आपत्ति में यह तो अंकित किया है कि रास्ता दूसरी जगह से उपलब्ध है परन्तु यह नहीं बताया है कि दूसरी जगह कहां से रास्ता उपलब्ध है। साथ ही प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर निर्माण होने का कथन किया है परन्तु निर्माण के सम्बन्ध में कोई फोटोग्राफ्स एवं निर्माण का विवरण अथवा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है इससे विप्रार्थी संख्या 1 की आपत्ति निराधार होने से खारिज की जाती है।

प्रार्थी के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थी की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1240 दिनांक 19.07.2022 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ''लाल रंग मार्क'' अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थी की आराजी खेत खसरा संख्या 266/14 ग्राम मौखावा में आने–जाने हेतु विप्राथी संख्या 1 की आराजी ग्राम मौखवा के खेत खसरा नम्बर 266/7 में से लम्बाई 120 गट्ठा तथा चौडाई 2 गट्ठा कुल रकबा 0–12 बीघा भूमि रास्ते हेतु बरंग ''लाल'' संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने के आदेश दिया जाते है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:53:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जायेगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अंतः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार गुडामालानी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3/1/2023 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:53:27 IST
Reason: SelfAttested